"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2004—चैत्र 13, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर एवं रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक सीजी/फार्मा/2004/332.—छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी कौंसिल अधिनियम, 1954 के नियम-4 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में मैं डॉ. ए. कदीर, उक्त निर्वाचन का रिटर्निंग ऑफिसर एतद्द्वारा फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन मतदाताओं से छः सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करता हूं और निम्नलिखित तारीखें नियत करता हूं :—

1.	नामनिर्देशन की अंतिम तिथि	-	05 अप्रैल, 2004
2.	नामनिर्देशन की संवीक्षा	-	06 अप्रैल, 2004
3.	आपत्ति की सुनवाई	-	07 अप्रैल, 2004
4.	नामनिर्देशन की वापसी की अंतिम तिथि	-	08 अप्रैल, 2004
5.	मतदान की स्थिति बनने पर मतदान की तिथि (समय सुबह 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक).	-	29 अप्रैल, 2004
6.	मतगणना (मतदान के पश्चात्)	-	29 अप्रैल, 2004

नोट :—

(1) नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार को नामनिर्देशन पत्र के साथ 50/- रुपये का नगद या बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर या बीमाकृत रजिस्ट्री द्वारा नामनिर्देशन की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा.

(2) मतदाता सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी कौंसिल, रायपुर कार्यालय प्रथम तल आयुर्वेदिक औषधालय नूरानी चौक-राजातालाब, रायपुर तथा प्रत्येक जिला के कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु भेजे गये.

ए. कदीर,
रिटर्निंग ऑफिसर एवं रजिस्ट्रार.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.